-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अवैध गांजे के साथ थाना मरका पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 1.2 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना मरका पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 18/19.09.2026 की देर रात्रि थाना मरका पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त धीरेंद्र उर्फ बउआ उर्फ धर्मेंद्र पुत्र राम सिंह उर्फ भूरा को ग्राम साड़ा नहर पुलिया के पास से अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल 01 किलो 200 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा बरामद अवैध सूखे गांजे को कब्जे में लेकर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 किलो 200 ग्राम अवैध सूखा गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धीरेंद्र उर्फ बउआ उर्फ धर्मेंद्र पुत्र स्वर्गीय राम सिंह उर्फ भूरा निवासी इंगुवा थाना मरका जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 129/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 52/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0 129/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष मरका श्री सूबेदार बिन्द
2. हे0कां0 लाल विनोद सिंह
3. हे0कां0 शैलेंद्र सिंह
4. कां0 पुनीत त्रिपाठी